



सत्यमेव जयते

प्रसार भारती
(भारत का लोक सेवा प्रसारक)
आकाशवाणी, कुकड़ा हिल्स, छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
Email - chindwara@prasarbharati.gov.in / airchhindwara@gmail.com



क्रमांक छिन्दवाड़ा-3(6)2024-25 / जी/128

दिनांक : 17 / 04 / 2024

प्रति,

आकाशवाणी बालाघाट में एक डीजल वाहन अनुबंध के आधार पर किराये पर लेने के लिये निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

वाहन अनुबंध का समयावधि – लागू होने के दिनांक से एक साल तक

अनुबंध की नियम व शर्तें संलग्न है।

आपकी निविदाएं दिनांक 29.04.2024 दोपहर 03:00 बजे तक आकाशवाणी बालाघाट के कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(अमोल एस. देशपांडे)
सहायक निदेशक (अभि.)
आकाशवाणी छिन्दवाड़ा

डीजल वाहन को अनुबंध के आधार पर किराये पर लेने के लिये नियम व शर्तें

- निविदाकार के पास अपने स्वामित्व और अधिकार में बालाघाट परिवहन कार्यालय द्वारा पंजीकृत कम से कम 3 टैक्सी जिसमें निम्नलिखित वाहन होना अनिवार्य है। टाटा इंडिका/जायलों/टवेरा/इनोवा अच्छी हालत एवं संतोषजनक सेवा देने योग्य होना चाहिये एवं कम से कम 2 टैक्सियों में सामान रखने हेतु लगेज केरियर होना चाहिये। एजेन्सी के पास बालाघाट परिवहन कार्यालय द्वारा पंजीकृत ट्रेवल्स एजेन्सी होने का प्रमाण पत्र होना चाहिये।
- वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र एवं बीमा की सत्यापित छाया प्रतियाँ निविदा के साथ संलग्न होना आवश्यक है।
- वाहनों में लगे माइलो मीटर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के नियमानुसार चालू हालत में होना चाहिये।
- **GST प्रमाण – पत्र, संलग्न करना अनिवार्य है।**
- यात्रा आकाशवाणी, सिविल लाईन्स बालाघाट से प्रारम्भ होकर आकाशवाणी, सिविल लाईन्स बालाघाट पर ही समाप्त होगी।
- केवल रात में रुकने के लिये ही उचित प्रभारों का भुगतान किया जायेगा जो कि रात्रि 00.00 (शून्य) बजे से प्रातः 06.00 बजे तक लागू होगा।
- शहर के बाहर की यात्रा के मामले में पूरे दिन के प्रभारों का भुगतान देय होगा।
- शहर के बाहर एवं अंतर्राज्यीय यात्रा की टोल टैक्स, कार पार्किंग शुल्क यदि कोई हो तो उस टैक्सी के बिल के साथ इस संबंध में राज्य सरकार की रसीद प्रस्तुत करने पर आकाशवाणी बालाघाट द्वारा वाहन किया जायेगा लेकिन प्रदायकर्ता को शहर से बाहर सभी यात्राओं के लिए अनुज्ञा पत्र (परमिट) अग्रिम रूप से प्राप्त करना आवश्यक होगा और इस कारण से उसके द्वारा किसी भी प्रकार का दावा नहीं किया जाएगा।
- आकाशवाणी बालाघाट, प्रदायकर्ता से प्राप्त वाहन को चलाए जाने की अवधि में दिये गये वाहन की किसी कारण से दुर्घटना, नुकसान या क्षतिग्रस्त इत्यादि होने के लिये जिम्मेदार नहीं होगा।
- चालक या किसी तीसरी पार्टी को वाहन प्रयोग करने के दौरान मृत्यु या किसी के चोट लग जाने लिये आकाशवाणी बालाघाट जिम्मेदार नहीं होगा।
- प्रदायकर्ता चालक की लापरवाही के कारण किसी व्यक्ति या सम्पत्ति को हुए नुकसान टूट फूट या चोट लग जाने के लिये या आकाशवाणी बालाघाट को किराये पर दिए

गये वाहन की अपर्याप्त देखरेख के कारण कार्यक्रम संबंधी सामान उपकरणों या अन्य किसी वस्तु के क्षतिग्रस्त होने या किसी कर्मचारी के दुर्घटना ग्रस्त होने के लिये जिम्मेदार होगा तथा पूरी भरपाई करेगा ।

- दरें केवल निर्धारित प्रपत्र में ही दर्शानी चाहिये। दरें अनुबंध की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये वैध होगी।
- प्रदायकर्ता शर्तों के अनुरूप एवं अंकित की गयी दरों के प्रति बाध्यकारी होगा और उनसे सहमत बना रहेगा और करार लागू रहने के दौरान वह वाहनों को देने के लिये दरों में वृद्धि करने के लिये आग्रह नहीं करेगा।
- निविदा प्रपत्र के साथ पिछले वित्तीय वर्ष की आयकर विवरणी, सेवाकर प्रमाण पत्र, स्थापना का पंजीयन, टेक्सी के लिये गाड़ी R.T.O. से एप्रूव होकर इस पत्र की फोटोप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। निविदाओं को बन्द लिफाफे के अन्दर भेजा जाय।
- वाहन चालक विनम्र एवं समय के पाबंद होना चाहिये एवं वाहन चालक शराब, ड्रग्स के नषे की हालत में वाहन को नहीं चलायेगा। वाहन के आचरण के लिये प्रदायकर्ता उत्तरदायी होगा। वाहन चालक के पास मोबाईल फोन होना अनिवार्य होगा।
- प्रदायकर्ता की जवाबदारी होगी कि वाहन चालक के पास बालाघाट परिवहन अधिकारी द्वारा जारी किया गया वैध लायसेंस होना अनिवार्य होगा, साथ ही वाहन में सभी आवश्यक कागजात, बीमा आदि होना चाहिये। वाहन चालक द्वारा किसी भी प्रकार से ट्रेफिक नियमों का उल्लंघन करने पर चालान/दंड का भुगतान प्रदायकर्ता को करना होगा।
- आकाशवाणी बालाघाट को जो वाहन किराए पर उपलब्ध कराए जाएंगे वे किराए पर लेने की तारीख को 7 वर्ष से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए अथवा 60,000 किलोमीटर से अधिक न चले हों।
- उपलब्ध कराये गये वाहन चालको को सरकार द्वारा समय समय पर बनाए गए यातायात नियमों और अन्य विनियमों का अनुसरण करना होगा। वाहन चालको को प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थानों से परिचित होना चाहिए।
- सम्बंधित अधिकारियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित ड्यूटी पर्चियों के साथ प्रस्तुत प्री-रिसिट बिलों का भुगतान बिलो से सेवा कर और आयकर की कटौती उसे जमा करने के उपरान्त किया जायेगा।
- सीलबंद निविदाएँ सहायक निदेशक (अभियांत्रिकी) आकाशवाणी बालाघाट, सिविल लाईन्स, बालाघाट 481001 के कार्यालय में दिनांक 22.04.2024 को प्रातः 15:00 बजे तक पहुँचना अनिवार्य है। देरी से प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जायेगी।
- टेलीफोन और मोबाईल फोन रखने वाले ट्रांसपोर्ट/टेक्सी मालिक ही आवेदन करें।
- यात्रा के अनुकूल वाहन चालक नहीं पाये जाने पर भुगतान देय नहीं होगा।

- वाहनों में प्राथमिक उपचार की सुविधा, स्टेपनी, अग्निषामक यंत्र, टूल्सकिट होना अनिवार्य है।
- कार्यालयाध्यक्ष उप महानिदेशक (अभियांत्रिकी) बिना पूर्व सूचना के कोटेशन निरस्त करने के अपने अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
- निविदाकार के पास बालाघाट शहर का गुमास्ता लाइसेंस होना जरूरी है।
- निविदाकार के पास बालाघाट क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय द्वारा पंजीकृत ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।

Quotation Format for Taxi booking

Sr. No.	Scope Of work	Qty.	Rate
1.	FOR LOCAL MOVEMENT		
a.	Rate up to 6 hrs.	One Job	
b.	Rate upto 12 hrs.		
c.	Extra Hrs. Charges per Km		
2.	OUT STATION		
a.	Up to 50 K m	One Job	
b.	Up to 100 K m		
c.	Up to 150 K m		
d.	Rate beyond 150KM for per Km		
e.	Night Halt Charges Per night		



(अमोल एस. देशपांडे)
सहायक निदेशक (अभि.)
आकाशवाणी छिन्दवाड़ा